रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272931
CG-DL-E-29052026-272931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2591]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948
No. 2591]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

का.आ. 2684(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पैरा 3 के उपपैरा (6) के परंतुक तथा पैरा 5 के खंड (ग) के परंतुक के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, इसे आवश्यक और समीचीन समझते हुए, मिजोरम की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों और मिजोरम की राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 12 दिसंबर, 2026 तक अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन तक, यथास्थिति, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाती है और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 2590 (अ), तारीख 13 जून, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) पैरा 2 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर 'तीन वर्ष और छह मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और छह मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आईए3-13/4/2022-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 2590 (अ), तारीख 13 जून, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसका संख्या का.आ. 2000 (अ), तारीख 2 मई, 2025 द्वारा तत्पश्चात् संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2026

S.O. 2684(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the proviso to sub- paragraph (6) of paragraph 3 and proviso to clause (c) of paragraph 5 of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government considering it necessary and expedient, hereby extends the term of the Chairman and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority, Mizoram and the term of the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Mizoram for a period up to the 12th December, 2026 or till the re-constitution of the State Level Environment Impact Assessment Authority and the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, whichever is earlier, and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O. 2590 (E), dated the 13th June,2023 namely:-

In the said notification,

(a) in paragraph 2, for the words "three years", the words "three years and six months" shall be substituted;

(b) in paragraph 6, for the words "three years", the words "three years and six months" shall be substituted.

[F.No. IA3-13/4/2022-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2590(E), dated the 13th June, 2023 subsequently amended vide, number S.O. 2000(E), dated the 2nd May, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA